फर्द अहकाम

लय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

जीवण बनाम बाबूलाल

मा संख्या / वर्ष 39/2013 : _____ / 20 _____

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/4/26	पत्रावली वास्ते आदेश पेशगी। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र जरिए अन्यायी निरस्ताह अस्वीकार कर खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाय सुनाया गया। पत्रावली में शामिल मिसल किया गया। पत्रावली के शुमार होकर दर्ज रजा से कम की जाकर जाद तामिल दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : विकास प्रजापत, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 39 / 2013
निर्णय दिनांक: 30.04.2026

उनवान

1. जीवण पुत्र रतना, जाति जाट, निवासी ग्राम चिमनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल
2. कैलाष पिसरान श्री देवाराम,
3. श्रीमती भौरी देवी पत्नी भंवरलाल
4. विमला पत्नी सीताराम
5. चन्दा पत्नी कैलाषचन्द
6. प्रेम पत्नी कमलेष
7. गीता पत्नी मुकेष
8. सुनिता पत्नी षिवकुमार
9. उर्मिला पत्नी जगदीष
10. ज्ञानी पत्नी बाबूलाल
11. मायावती पत्नी गिर्राज
12. सन्तोष पत्नी महेष
13. ममता पत्नी राजेन्द्र
14. सुमन पत्नी अषोक
15. ममता पत्नी रविकुमार
16. निलीमा पत्नी राजकुमार

    समस्त जाति हरियाणा ब्राम्हण निवासी ग्राम हीरापुरा हालवासी 36, दुकान के पास 200 फिट बाईपास चौराहे के आगे, भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर।
18. उप पंजीयक अधिकारी द्वितीय सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

उपस्थितः–

1. **श्री रामजीलाल चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी**

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेष किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने उक्त उनवानी वाद अधिकार घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का आज ही अलग से अप्रार्थीगण के विरूद्ध श्रीमान के न्यायालय के समक्ष ठोस मुद्धो एवं सुदृष्ढ आधारो पर प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता मिलने की पूरी पूरी आशा है। भूमि खसरा नम्बर पुराना 66 रकबा 27 बीघा 18 बीस्वा बारानी

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दोयम भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 154 रकबा 2.52 हैक्टयर, खसरा नम्बर 155 रकबा 3.31 हैक्टयर, खसरा नम्बर 163 रकबा 1.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 155/243 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 170/250 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 164/251 रकबा 0.13 हैक्टयर कुल किता 6 कुल रकबा 7.11 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 154/266 रकबा 055 हैक्टयर भूमि वाके ग्राम चिमनपुरा पटवार हल्का भांकरोटा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित भूमि का प्रार्थी शुरू से ही एक मात्र खातेदार काश्तकार स्वमी था, जो जमाबन्दी सवत 2026 में खातेदारी दर्ज है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी करता आ रहा था। भूमि खसरा नम्बरान की अंकतालिका इस प्रकार से है। जिसका पुराना खसरा नम्बर 66 रकबा 27 बीघा 18 बीस्वा बारानी दोयम है जिसके हाल खसरा नम्बर 154 रकबा 2.52 है0, खसरा नमबर 155 रकबा 3.31 है0, खसरा नम्बर 163 रकबा 1.05 है0, 155/243 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 170/250 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 164/251 रकबा 0.13 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 7.11 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 154/266 रकबा 0.055 हैक्टयर भूमि ग्राम चिमनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित भूमि के भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 66 के नये तुलनात्मक नम्बर इस प्रकार से विभाजित कर दिये जो जमाबन्दी संवत 2067 लगायत 2070 में दर्ज किये गये अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित है। भूमि खसरा नम्बर 66 रकबा 27 बीघा 18 बीस्वा बारानी दोयम भूमि मे से प्रार्थी द्वारा दिनांक 14 मार्च 1983 में जरिये विक्रय पत्र द्वारा तादादी रकम 49,500/– रूपये अक्षरे उन्नचास हजार पांच सौ रूपये मे 12 बीघा भूमि अप्रार्थी नं 1 व 2 को 1/2 भाग व अप्रार्थी नम्बर तीन का 1/2 भाग भूमि बेचान कर दी गयी थी जो दिनांक 16 मार्च सन 1983 पुस्तक संख्या एक जिल्द संख्या 83, कम संख्या 246 पृष्ठ संख्या 267 से 268 तक रजिस्ट्रार द्वारा पंजीबद्ध किया गया एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या प्रथम भाग संख्या 3 के पृष्ठ संख्या 178 से 186 तक पंजिबद्ध किया गया था एवं बाकी शेष भूमि 15 बीघा 18 बीस्वा भूमि पर शुरू से लेकर हाल में भी प्रार्थी के स्वयं के कब्जे काश्त मे चली आ रही है और मौके पर प्रार्थी एवंप्रार्थी के परिवार का कब्जा बना हुआ है जिसकी प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार वाले भूमि का उपयोग व उपभोग निरन्तर करते आ रहे है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि जो प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.3.1983 को अप्रार्थी गणो 1 ता 3 को भूमि 12 बीघा का बेचान जरिये रजिस्ट्री के द्वारा कराया गया था मे से अप्रार्थीगण 1 ता 3 द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारियो से सांठगांठ करके अपने नाम उपरोक्त खसरा नम्बरान वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित तालिका अनुसार 0.087 हैक्टयर यानी 3 बीघा 12 बीस्वा भूमि अधिक अपने खातेदारी में चुपचाप दर्ज करा ली जिसका मालुम प्रार्थी के पुत्र के मृत्यु उपरान्त मालुम हुआ जो भूमि अधिक अप्रार्थीगणो ने दर्ज करायी गई वह संवत 2067 से 2070 की

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

जमाबन्दी में अधिक भूमि दर्ज है जो निम्न प्रकार खसरा नम्बर की में है खतौनी संख्या नयी 24 व पुरानी सं 24 खसरा नम्बर 155 रकबा 3.31 हैक्टयर चाही अव्वल एवं खसरा भूमि 3.087 हैक्टयर भूमि की खातेदारी दर्ज है इसमे से 0.087 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी (जमाबन्दी) से हटायी जाकर प्रार्थी के खातेदारी मे दर्ज की जावे क्यो कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण 1 ता 3 को केवल मात्र 12 बीघा जमीन का ही बेचान किया गया है न की अधिक खातेदारी की भूमि का इसलिये अप्रार्थीगणो 1 ता 3 की खातेदारी से अधिक दर्ज भूमि को कम किया जाकर प्रार्थी जीवण की खातेदारी मे दर्ज की जाने की डिकी फरमायी जावे। क्योकि भू-प्रबन्ध अधिकारियो को कानूनन के तहत किसी के नाम अधिक भूमि दर्ज करने के अधिकार कानूनन नही है। वाद पत्र के मद नं दो में वर्णित खसरा नम्बर तालिका में विवादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण एक व दो का 1/2 भाग, एवं अप्रार्थीगण न 3 का 1/2 भाग खातेदारी दर्ज है तथा भूमि खसरा नम्बर 154/266 रकबा 0.55 हैक्टयर बारानी का सम्पूर्ण भाग अकेली अप्रार्थीनी नं तीन के नाम दर्ज है जिसको अवादनी नं तीन के द्वारा अप्रार्थी गण नं 4 ता 8 के नाम हिस्सा 1/4 व अप्रार्थीगण नं 9 ता 12 के नाम हिस्सा 1/4 तथा अप्रार्थीगण नं 13,14 का ब.हिस्सा 1/4 और अप्रार्थीगण नं 15,16 का ब. हिस्सा 1/4 का 1/2 का नामान्तकरण संख्या 147 के द्वारा जमाबन्दी के कालम नं 11, 12, 13 में दर्ज करा लिया जो कि यह कृत्य अवादनी नं तीन के द्वारा जानबुझकर भूमि खसरा नम्बर 154/266 का सम्पूर्ण भाग व 155/243 एवं खसरा नम्बर 155 का भी तथा दोनो खसरा नम्बरा का अपना सम्पूर्ण 1/2 भाग को अप्रार्थीगण 4 ता 16 के नाम भूमि हस्तान्तरित चुपचाप कर दी गयी जो भी इनकी खातेदारी से हटायी जाकर प्रार्थी के नाम दावा डिक्री किया जावे। प्रार्थी को अप्रार्थीगण 1 ता 3 के द्वारा अधिक भूमि की जानकारी दिनांक 20.1.2013 को जब अप्रार्थीगण 1 ता 3 प्रार्थी के पास जाकर भूमि को खाली करने को कहा तो प्रार्थी को आश्चर्य हुआ और सदमा लगा तब जानकारी होने के पर प्रार्थी ने कहा कि तुमने बेईमानी करके मेरी जमीन अधिक गलत तरीके से नाम कराली इस पर काफी विवाद हुआ तथा गां वके मौजीजा लोगो को बुलाकर समझौता करने की बात कही उसमे अप्रार्थीगण ने कहा कि तुम्हारी अधिक जमीन तुम्हारे नाम वापस रजिस्ट्री करा देंगे, इस बात पर प्रार्थी द्वारा पुनः दिनांक 27.1.2013 के अप्रार्थीगण 1 ता 16 को कहा तो अप्रार्थीगणो ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकाते हुए कहा तुम चाहे सो करो हम तुम्हारे नाम जो हमारे नाम 0.87 हैक्टयर जमीन लग गयी वह नही करायेगे और तुमको जमीन से बेदखल जमीन का बेचान करेंगे लोगो के समझाने पर भी नही माने, तब जाकर प्रार्थी ने नकल जमाबन्दी दिनांक 29.1.2013 को कलेक्ट्रेट से निकलवाकर प्रार्थी को मजबुर होकर अपनी भूमि को सुरक्षित रखने हेतु व अपने नाम खातेदारी कराने के लिये वाद अधिकार घोषणा व दुरूस्ती

उपखण्ड अधिकारी

इन्द्राज का दावा कानूनन पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी अनपढ व्यक्ति है और अपने परिवार मे अकेला व्यक्ति है तथा जेष्ठ पुत्र की मृत्यु पश्चात प्रार्थी की आर्थिक व शारीरिक शक्ति भी काफी क्षण हो गयी है व अप्रार्थीगण 1 ता 16 काफी मालदार व बाहुल्य वाले व्यक्ति है जो प्रार्थी को भूमि से कभी भी आदमियो व धनबल के सहारे से कभी भी भूमि से बेदखल कर भूमि का बेचान करने पर आमादा हो रहे है क्योकि प्रार्थी व मौजिजा लोगो के समझाने पर दिनांक 29.1.2013 को प्रार्थी को ऐलानिया धमकी भूमि से बेदखल कर बेचान करने की धमी दिये जाने के कारण से ही प्रार्थी को अप्रार्थीगणो 1 ता 16 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना भी आवश्यक हो गया ताकि अप्रार्थीगण भूमि को खुर्द बुर्द न करे और ना ही प्रार्थी की भूमि 0.87 हैक्टयर जो बेईमानी से अपने खातेदारी मे लगवा ली से बेदखल न करे इस कारण प्रार्थी को अपनी भूमि को सुरक्षित रखने हेतु वाद स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर अप्रार्थीगणो 1 ता 16 को पाबन्धित कराना आवश्यक हो गया इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई कानूनी विकल्प नही था और तब ही प्रार्थी की भूमि सुरक्षित रह सकेगी अन्यथा नही। वादी प्रार्थी अनपढ व परिवार में अकेला गरीब व्यक्ति है तथा विपक्षीगण 1 ता 16 काफी मालदार व व्यक्तियो के बाहुल्य वाले लोग है जो आये दिन प्रार्थी को भूमि से जबरदस्ती बेदखल व झगडा फिसाद करने पर हमेशा आमादा रहते है अगर अप्रार्थीगण को तुरन्त जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वे प्रार्थी के कदीमी कब्जेकाश्त की भूमि 0.87 हैक्टयर के उपयोग उपभोग के अधिकारोसे विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 155, 154/266, 155/243 की में से को अप्रार्थीगण दीगर लोगो सोसायटी को बेचान करने पर आमादा हो रहे है अगर प्रार्थी को भुमि से बेदखल कर ऐसा करनेमे सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति प्रार्थी को भविष्य मे कभी भी नही हो सकेगी इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तादौराने वाद ताफैसला वाद अप्रार्थीगणों को तुरन्त जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 155, 154/266, 155/243 की भूमि ग्राम चिमनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित भूमि मे प्रार्थी के कब्जेकाश्त के उपयोग उपभोग में दखलअंदाज ना करे। एवं अप्रार्थीगण 1 ता 16 विवादग्रस्त भूमि का बेचान, दीगर लोगो व सोसायटी व अन्य न करे ना ही रहननामा, वसीयतनामा बेक लोन इकरारनामा, आदि अन्य के नाम नही करे आदि बातो से स्टे से पाबन्द किया जावे और विपक्षीगण नं 17 को भी प्रतिबन्धित किया जावे कि वह विपक्षीगण 1 ता 16 के कहने पर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन ना करे और ना ही नामान्तकरण तस्दीक करे, तथा विपक्षीगण नं 18 को भी पाबन्द किया जावे कि वह

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

विपक्षीगण के कहने पर विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 155, 154/266, 155/243 का बेचाननामा, रहननामा, इकरारनामा वसीयतनामा बैंक लोन आदि के बारे मे कोई पंजीयन नही करे ना ही अपने अधिनस्थ अधिकारियो से करोव, तथा अप्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे आदि बातो के लिये अप्रार्थीगण 1 ता 18 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1, 2 एंव 4 लगायत 16 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1, 2 एंव 4 लगायत 16 की ओर से इस आषय से जवाब पेष किया कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त उनवानी वाद माननीय न्यायालय के समक्ष मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के यह कहते हुवे प्रस्तुत किया गया है कि भूमि खसरा नम्बर पुराना 66 रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा बारानी दोयम जिसके हाल खसरा नम्बर 154 रकबा 2.52 हेक्टयर, खसरा नम्बर 155 रकबा 3.31 हेक्टेयर खसरा नम्बर 163 रकबा 1.05 हेक्टयर, खसरा नम्बर 155/243 रकबा 0.01 हेक्टेयर खसरा नम्बर 170/250 रकबा 0.09 हेक्टयर, खसरा नम्बर 164/251 रकबा 0.13 हेक्टयर कुल किता 6 कुल रकबा 7.11 हेक्टयर भूमि वाके ग्राम चिमनपुरा पटवार हल्का भांकरोटा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित है, जिसका प्रार्थी शुरू से ही एकमात्र खातेदार काश्तकार स्वामी था, प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 66 पुराना में से 12 बीधा भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को 6 बीधा के रूप में एंव 6 बीधा भूमि का बेचान श्रीमती भौरी देवी को दिनांक 14 मार्च सन् 1983 को कर दिया गया था एंव मौके पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एंव श्रीमती भौरी देवी को सम्भला दिया गया था। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उपरोक्त आराजी भूमि को लेकर प्रार्थी एंव श्रीमती भौरी देवी के मध्य सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर, मु. जयपुर के यहां विप्रार्थना चला था, जिसका मुकदमा नम्बर 670/89 है, उक्त मुकदमा रकबा दुरूस्ती के सम्बन्ध मे हुआ था एंव जिसमे प्रार्थी एंव मिन अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा भी हो गया था एंव इस सम्बन्ध मे दिनांक 16.6.1989 को प्रार्थी एंव श्रीमती मौरी देवी के मध्य भूमि अदला बदली का इकरारनामा भी हुआ था एंव तत्पश्चात् उपरोक्त मुकदमे मे राजीनामे के आधार पर दिनांक 21.8. 1989 को फैसला कर दिया गया था एंव जिसमे स्वंय प्रार्थी जीवण ने सशपथ बयान भी दिये थे, जो निम्न प्रकार हैः– ग्राम चिमनपुरा मे हाल खसरा नम्बरा 155 के रकबे के सम्बन्ध मे आपके यहां उजदारी प्रस्तुत की थी। उपरोक्त खसरा नम्बर में 31 एयर भूमि रिकार्ड से ज्यादा दर्ज हो गई थी, किन्तु इस सम्बन्ध में हमारे दोनो पक्षो मे समझौता हो गया है। उक्त खसरा नम्बर मे जो रकबा ज्यादा है उसके बदले मे जो जमीन मैने पूर्व मे ही भौरी देवी से ले रखी है, वह जमीन भरोती कर लूंगा। अब उक्त खसरा नम्बर व रकबे के सम्बन्ध मे कोई विप्रार्थना या आपत्ति नही है। खसरा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नम्बर 155 पूर्ववत ही रिकार्ड मे दर्ज रहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाल खसरा नम्बर 154 में से 2 बीघा 4 बिस्वा जमीन खसरा नम्बर 155 से लगती हुई भौरी देवी को नपवाकर और दे दूंगा, इसके बदले मे मै भौरी देवी से खसरा नम्बर 14 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बरा 19 रकबा 111) 4 बिस्वा खसरा नम्बर 57 रकबा 111) बिस्वा कुल रकबा 3)4 मे से हिस्सा 2/3 व खसरा नम्बर 60 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 20के रकबा .4 बिस्वा मे हिस्सा 1/3 मे से 2/3 ले लुगा। इस प्रकार हमारा रकबा कमी बेसी से पूरा हो जायेगा तथा किसी प्रकार का विप्रार्थना भी नही रहेगा। उपरोक्त बयान एंव राजीनामा / इकरारनामा दिनांक 16.6.1989 के आधार पर प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि प्राप्त कर ली एंव उक्त आराजी के सम्बन्ध में सन् 1989 में ही विप्रार्थना पूर्ण रूप से समाप्त हो गया एंव सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर मु. जयपुर द्वारा निम्न आदेश दिनांक 21.8.1989 को पारित फरमा दिये गये :– पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित। इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि ग्राम चिमनपुरा मे गत खसरा नम्बरा 66 में से 12 बीघा भूमि जरिये विक्रय पत्र बेचान की थी, किन्तु हाल पैमायश मे इस रकबे में हाल खसरा नम्बरा 155 रकबा 3. 31 हेक्टेयर का पर्चा अप्रार्थीगण को दे दिया गया हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रार्थी स्वंय के द्वारा उक्त उजदारी प्रस्तुत की गई थी एंव जिसमे दिनांक 21.8.1989 को फैसला सुनाया जाकर पर्चा भी अप्रार्थीगण के नाम खसरा नम्बर 155 रकबा 3. 31 हेक्टेयर का खोल दिया गया था। माननीय न्यायालय से प्रार्थी के उपरोक्त मुकदमे एंव फैसले के तथ्य पूर्ण रूप से छिपाये है एंव माननीय न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है एव कानूनी रूप से खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी को उक्त फैसले की सन् 1989 से ही पूर्ण रूप से जानकारी है एंव उपरोक्त आराजी के बावत सन् 1989 मे ही विप्रार्थना समाप्त हो चुका है एंव स्वंय प्रार्थी द्वारा उक्त फैसले के पश्चात् उक्त सेटलमेन्ट से उसके पास आई भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम करवा लिया एवं उसी में से खसरा नम्बर 142/238 रकबा 0.30 हैक्टेयर को दिनांक 30.08.2001 को श्रीमती गीता जैन को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 142/239 रकबा 0.16 हैक्टेयर में से हिस्सा 2/3 मैसर्स सुरभित गार्डन्स प्राईवेट लिमिटेड को दिनांक 06.10.1997 को विक्रय कर दिया एवं अब प्रार्थी द्वारा करीब 24 वर्ष पश्चात् माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना तथ्यों को छिपाते हुये प्रस्तुत किया गया है, जो कानूनी रूप से मियांद बाहर होने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी जिस भूमि को विवादित बताकर प्रार्थना माननीय न्यायालय के समक्ष लाया है उसका नामान्तरकरण राजस्व रिकॉर्ड मे मिन अप्रार्थीगण के नाम तस्दीक किया हुआ है, जिसकी भी प्रार्थी को नामान्तरकरण

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तस्दीक की दिनांक से पूर्ण रूप से जानकारी है। ऐसी स्थिति मे कानूनी रूप से किसी भी प्रकार से प्रार्थी का प्रार्थना चलने योग्य नही है एंव प्रथम स्टेज पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीया संख्या 3 का स्वर्गवास दिनांक 19.05.2011 को दावा दायरी से पूर्व ही हो गया था एंव जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने के बावजूद भी उसके द्वारा मृतक महिला को जानबुझकर प्रार्थना मे पक्षकार बनाया गया है। इस कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना चलने योग्य नही हैं। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 1 जिस प्रकार वर्णित किया है मे दावा प्रस्तुत करना मात्र स्वीकार है परन्तु उसमें सफलता की आशा करना मृगतृष्णा के समान है। दावा मिथ्या तथ्यो पर आधारित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य हैं। अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 तथा अप्रार्थी सख्या 3 के द्वारा दिनांक 14 मार्च 1983 में जरिये विक्रय पत्र द्वारा तादादी रकम 49,500/– रूपयें (अक्षरे अन्नचास हजार पांच सौ रूपये) में 12 बीघा भूमि खरीदना स्वीकार है, जिसका पंजियन दिनांक 16.03.1983, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 83, क्रम संख्या 246 पृष्ठ संख्या 267 से 268 तक रजिस्ट्रार द्वारा पंजिबद्ध किया गया एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या प्रथम भाग संख्या 3 के पृष्ठ संख्या 178 से 186 तक पंजिबद्ध किया गया था। अप्रार्थीगणों ने दर्ज कराई हैं, वह संवत 2067 से 2070 की जमाबन्दी में अधिक भूमि दर्ज हो जो निम्न प्रकार खसरा नम्बर की में हो खतौनी संख्या नयी 24 व पुरानी सं. 24 खसरा नम्बर 155 रकबा 3.31 हैक्टेयर चाही अव्वल एवं खसरा नम्बर 155/243 करबा 0.01 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण 1 ता 3 के खातेदारी में दर्ज की गई हो तथा 12 बीघा भूमि से अधिक दर्ज की गई हो। इस प्रकार से कुल भूमि 3.087 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी दर्ज है। इसमें से 0.087 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी (जमाबन्दी) से हटायी जाकर प्रार्थी के खातेदारों में दर्ज की जावे क्यों कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण 1 ता 3 का केवल मात्र 12 बीघा जमीन का ही बचान किया गया हो न की अधिक खातेदारी की भूमि का इसलिये अप्रार्थीगणों 1 ता 3 की खातेदारी से अधिक दर्ज भूमि को कम किया जाकर प्रार्थी जीवण की खातेदारी में दर्ज की जाने की डिक्री फरमायी जावें, जब अप्रार्थीगणों की खातेदारी में अधिक भूमि दर्ज है ही नहीं तो अप्रार्थीगणों 1 ता 3 की खातेदारी से अधिक दर्ज भूमि को कम किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता और ना ही प्रार्थी इस प्रकार की कोई डिक्री पाने का अधिकारी हैं। इस मद में प्रार्थी का यह भी कहना कतई गलत है कि भू–प्रबन्ध अधिकारियों को कानूनन के तहत किसी के नाम अधिक भूमि दर्ज का अधिकार कानूनन ना हो। कहना कतई गलत है, कि प्रार्थी को अप्रार्थीगण 1 ता 3 के द्वारा अधिक भूमि की जानकारी दिनांक 20.01.2013 को जब अप्रार्थीगण 1 ता 3 प्रार्थी के पास जाकर भूमि को खाली करने को कहा तो प्रार्थी को आश्चर्य हुआ ओर सदमा लगा तब जानकारी होने पर प्रार्थी ने कहा हो कि तुमने बेईमानी करके मेरी जमीन अधिक गलत तरीके से नाम

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

करा ली। इस पर काफी विप्रार्थना हुआ हो तथा गांव के मौजीजा लोगो को बुलाकर समझौता करने की बात कही हो और उसमें अप्रार्थीगण ने कहा हो कि तुम्हारी अधिक जमीन तुम्हारे नाम वापस रजिस्ट्री करा देगें। जब प्रार्थी अप्रार्थीगण 1 ता 3 के पास दिनांक 20.01.2013 को आया ही नहीं तो भूमि को खाली करने तथा बेईमानी से प्रार्थी की जमीन अधिक गलत तरीके से नाम कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और ना ही अप्रार्थीगण ने प्रार्थी तथा गांव के मौजीजा लोगों को बुलाकर समझौता कराने की कोई बात हुई तथा ना ही अप्रार्थीगण ने कभी यह कहा की तुम्हारी अधिक जमीन तुम्हारे नाम वापस रजिस्ट्री करा देगें जब अप्रार्थीगण के पास अधिक भूमि है ही नहीं तो प्रार्थी के नाम वापस रजिस्ट्री कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इस मद में प्राथी का यह कहना भी कतई गलत है कि इस बात पर प्राथी द्वारा पुनः दिनांक 27.01.2013 को अप्रार्थीगण 1 ता 16 को कहा तो अप्रार्थीगणों ने प्रार्थी को ऐलानियां धमकाते हुए कहा हो की तुम चाहे सो करो हम तुम्हारे नाम 0.87 हैक्टयर जमीन लग गई वह नहीं करायेगें जब अप्रार्थीगण के नाम 0.87 हैक्टेयर जमीन लगी ही नही तो वापस करने का प्रसन्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थी का इस मद में यह कहना भी कतई गलत है कि तुमको जमीन से बैदखल कर जमीन का बेचान करेगें लोगो के समझाने पर भी नहीं माने जब अप्रार्थीगण जमीन को बेचान ही नहीं कर रहे तो लोगो के समझाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इस मद में प्रार्थी का यह कहना भी कतई गलत है, कि तब जाकर प्रार्थी ने नकल जमाबन्दी दिनांक 29.01.2013 को कलेक्ट्रेट से निकलवाकर प्रार्थी को मजबूर होकर अपनी भूमि को सुरक्षित रखने हेतु व अपने नाम खातेदारी कराने के लिए प्रार्थना अधिकार घोषणा व दुरूस्त इन्द्राज का दावा कानूनन पेश करना आवश्यक हुआ हो। वास्तविक सत्य यह है कि जब दिनांक 20.01.2013 व दिनांक 29.01.2013 को अप्रार्थी संख्या 1 तो 16 के द्वारा प्रार्थी को अधिक भूमि के कागजात नाम नहीं कराने से मना करने जब अप्रार्थीगण के पास अधिक भूमि है ही नहीं तो मना करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता तथा ऐलानियां मौजीजा लोगा के सामने धमकी देना तथा भूमि से बेदखल कर दीगर लोगो को बेचान करने पर आमादा ही नहीं हैं तो प्रार्थना कारण उत्पन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। क्योंकि प्रार्थी वादी द्वारा आपसी सेटलमेन्ट और फैसले के अनुरूप जमीनो का बेचान किया जा चुका है विवादित भूमि से उसका कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार से नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा जैसी विवेकशील सिद्धी मिन् अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे विशेष सहित खारिज फरमाया जावे। पत्राली बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बहस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उभयपक्षकारान सूनी गई। दौराने बहस थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में वेदन किया कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नमबर 66 रकबा 27 घा 18 बिस्वा बारानी दायोमें में से प्रार्थी द्वारा दिनांक 14 मार्च 1983 में जरिये विक्रय त्र से खसरा नम्बर 154/266 को बेचान कर दिया अप्रार्थीगणो 1 ता 3 द्वारा भू-प्रबन्ध धिकारियों से सांठगाठ करके 0.087 है0 यानी 3 बीघा 12 बिस्वा जमाबन्दी संवत 2067 ने 2070 में अपने खातेदारी में ज्यादा लगा दी। मूल दावा साक्ष्य के उपरान्त निर्णय होना है। प्रार्थीगण ने समझौता करने की बात कही जिसमें अप्रार्थीगण ने इन्कार कर दिया। अप्रार्थीगण के हिस्से में अधिक लगी भूमि को अप्रार्थीगण सोसायटी को बेचान करने की कोषिष कर रहें है। तथा प्रार्थी को अपने कब्जे काष्त की भूमि से बेदखल करने पर अमादा है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अप्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि जवाब में सारे तथ्य लिखे है। अप्रार्थीगण को जमीन अदला बदली से मिली थी। उपरोक्त आराजी भूमि को लेकर प्रार्थी एंव श्रीमती भौरी देवी के मध्य सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर, मु. जयपुर के यहां विप्रार्थना चला था, जिसका मुकदमा नम्बर 670/89 है, उक्त मुकदमा रकबा दुरूस्ती के सम्बन्ध मे हुआ था एंव जिसमे प्रार्थी एंव मिन अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा भी हो गया था एंव इस सम्बन्ध मे दिनांक 16.6.1989 को प्रार्थी एंव श्रीमती मौरी देवी के मध्य भूमि अदला बदली का इकरारनामा भी हुआ था एंव तत्पश्चात् उपरोक्त मुकदमे मे राजीनामे के आधार पर दिनांक 21.8.1989 को फैसला कर दिया गया था। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काष्तकार है। दावा अबेट हो चुका है। अप्रार्थीगण काबिज काष्त है। तथा काष्तकार रहें है। रिकार्डेड खातेदार काष्तकार के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नही की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व सलग्न दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अवलोकन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न तीन बिन्दू विचारणीय हैः- **(1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति**

(1) प्रथम दृष्टया मामला

वादग्रस्त भूमि के अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण की अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, एवं सभी अप्रार्थीगण अपनी सहुलियत के हिसाब से वादग्रस्त सम्पति पर संयुक्त रूप से काबिज

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

होकर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार उक्त आराजी के सम्बंध अधिकारों का निधारण बयान एवं राजीनामा दिनांक 16.06.1989 के आधार पर प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि प्राप्त कर ली तथा विप्रार्थना पूर्ण रूप से समाप्त हो गया तथा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर मु जयपुर द्वारा दिनांक 21.08.1989 को इस बाबत् आदेश पारित किया। प्रार्थी के पास सेटलमेन्ट के दस्तावेज नही है। प्रस्तुत दस्तावेजो से प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है, इसलिए उक्त बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में तय नही होता है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति

उक्त दोनों बिन्दूओं का सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें अप्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज है, प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे से स्पष्ट होता हो की प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर हिस्सा है। ना तो वाद की बहुलता बढेगी एवं ना ही प्रार्थी को ही अधिक असुविधा होगी तथा और ना ही अपूर्णनीय क्षति कारित होगी

उक्त तीनों बिन्दू प्रार्थी साबित करने में असफल रहा है इसलिए उसके पक्ष में तय नही होते है ऐसी स्थिति में मूलवाद के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::क्रियात्मक आदेश::

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 वादग्रस्त भूमि भूमि वाके ग्राम चिमनपुरा पटवार हल्का भांकरोटा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित हाल खसरा नम्बर 154 रकबा 2.52 हैक्टयर, खसरा नम्बर 155 रकबा 3.31 हैक्टयर, खसरा नम्बर 163 रकबा 1.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 155/243 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 170/250 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 164/251 रकबा 0.13 हैक्टयर कुल किता 6 कुल रकबा 7.11 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 154/266 रकबा 055 हैक्टयर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास प्रजापत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर